

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

---0---

—: आदेश :—

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/10/2024

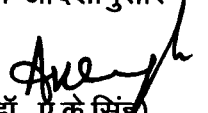
क्रमांक 1548/687/2023/स्था./चार :: श्री सतीश पाटिले, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग द्वारा मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्र. 652/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 में दिये गये निर्देश के प्रभावशीलता के अनुक्रम में, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.11.2023 का पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.07.2024 आहूत की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षित बैठक दिनांक 30.07.2024 में समिति द्वारा निःशक्तजन कोटे से पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु आरक्षित पद रिक्त न होने के कारण याचिकाकर्ता श्री सतीश पाटिले को पदोन्नति हेतु समिति द्वारा विचार नहीं किया गया। समिति द्वारा श्री अजय देवांगन, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है।

2/ अतएव, राज्य शासन एतद्वारा श्री अजय देवांगन, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग (वर्तमान पदस्थापना— जिला कोषालय, नारायणपुर) को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर, कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (15600-39100 ग्रेड वेतन 5400) लेवल-12 में, विभागीय आदेश क्र. 156/687/2023/स्था./चार, दिनांक 30.01.2024 द्वारा पदोन्नत कनिष्ठ अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कु. छायाशानी के नीचे श्री अजय देवांगन की वरिष्ठता निर्धारित करते हुए, तत्समय स्वीकृत वेतनमान अनुसार "कार्य नहीं वेतन नहीं No Work No Pay" के सिद्धांत पर काल्पनिक पदोन्नत (Proforma Promotion) करते हुए, लेखाधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर के पद पर पदस्थ करता है।

3/ यह पदोन्नति "कार्य नहीं वेतन नहीं No Work No Pay" के सिद्धांत पर होगी। पदोन्नत छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग को वेतन वृद्धि एवं अन्य प्रयोजन हेतु मान्य की जाएगी, किन्तु जितनी अवधि में उस पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया गया है, उस अवधि का वेतन अवशेष प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। वास्तविक लाभ पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा।

4/ दिनांक 03.11.2023 को संपन्न विभागीय समिति की बैठक में की गई अनुशंसा अनुसार विभागीय आदेश क्र. 156/687/2023/स्था./चार, दिनांक 30.01.2024 के सरल क्र. 1 द्वारा श्रीमती एस.के.ठाकुर छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग में पदोन्नत किया गया था, उक्त बैठक दिनांक 03.11.2024 का पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.07.2024 की कार्यवाही विवरण के कंडिका 18 में "पदोन्नत होने से विचार नहीं" समिति द्वारा अनुशंसा की गई है, फलस्वरूप विभागीय आदेश दिनांक 30.01.2024 की तालिका के सरल क्र. 1. श्रीमती एस.के.ठाकुर का छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग में की गई पदोन्नति को निरस्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डॉ. ए.के.सिंह)
अपर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

निरंतर.....2

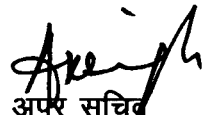
पृष्ठां. क्र. 1549/687/2023/स्था./चार/

नवा रायपुर, दिनांक 08/10/2024

प्रतिलिपि :-

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. आयुक्त, बस्तर संभाग, बस्तर, छत्तीसगढ़
5. संचालक, संचालनालय, कोष एवं लेखा, नवा रायपुर, अटल नगर
6. अपर विकास आयुक्त, कार्यालय विकास आयुक्त, नवा रायपुर अटल नगर
7. सचिव, लोक सेवा आयोग नवा रायपुर अटल नगर को उनके पत्र क्र 2444/104/2023/जी.एस., दिनांक 06 अगस्त 2024 के संदर्भ में ।
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
9. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मान. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क्र. 652/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के तारतम्य में ।
10. कलेक्टर, नारायणपुर/कांकेर।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर
12. जिला कोषालय अधिकारी, कांकेर/नारायणपुर छत्तीसगढ़
13. संबंधित अधिकारी.
14. आदेश फोल्डर हेतु

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित


अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग